महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/स्टोर/वि.टेंडर/2015/ 17769 दिनांक : 22.01.15

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	प्रिंटिंग	10.00	20,000	200
2.	प्लास्टिक वूवन बैग्स	4.50	9,000	200
3.	कैंटीन संचालन	5.00	10,000	200
4.	फ़ोटोस्टेट एवं स्पाईरल बाइंडिंग	3.00	6,000	200
5.	छात्र सुविधा केंद्र : फ़ोटोस्टेट, स्पाईरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट	2.00	4,000	200
6.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	1.20	2400	200
7.	टेंट व्यवस्था मय माइक, साज़-सज्जा (फूल,माला आदि)	3.00	600	200
8.	विध्युत व्यवस्था मय सजावटी लाईटिंग एवं जेनरेटर व्यवस्था	1.20	2400	200

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 07.02.15 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	प्रिंटिंग कार्य	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	07.02.2015 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
निविदा कमांक–	17769 दिनांक 22-1-15	निविदा खोलने की तिथि	07.02.2015 मध्यान्ह 03:00 बजे
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रू. 10,00,000/- रु. 20,000/- रू. 200/-		

1. विभिन्न प्रपत्रों एवं लिफाफों की छपाई के कार्य (वस्तु का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता
   (मय दूरभाष न. एवं मो. न.) ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या ....
4. किनको सम्बोंधित किया गया है :–वित्त नियंत्रक ,महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
5. संदर्भ :– निविदा क्रमांक_____ दिनांक______
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद.......................एवं दिनांक..............................द्वारा रेखांकित पोस्टल ओर्डर /ड्राफ्ट संख्या ....के द्वारा जमा करा दी गई है ।
7. हम ....द्वारा जारी कि गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा सलंग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उलेखित शर्तों को हमारें द्वारा स्वीकार किऐ जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए गए है ।)
8. प्रपत्र–अ में कागज रहित मुद्रित किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों की प्रति हजार की दर अंकित की जानी चाहिए
9. प्रपत्र–ब में कागज की प्रति हजार कि दर अंकित की जानी चाहिए ।
10. प्रपत्र–स डिजिटल प्रिंटिग की दर अंकित की जानी चाहिए
11. प्रपत्र–द में लिफाफे सहित मुद्रित किए जाने वाले विभिन्न लिफाफों की प्रति सैंकडा दर अंकित की जानी चाहिए
12. उपरोक्त प्रपत्र अ,ब,स, एवं द में दर समस्त कर एवं वेट सहित एफ ओ आर महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय,बीकानेर की दर अंकित की करनी होगी एवं **समस्त प्रपत्रों में अपनी दरें अंकित की जानी आवश्यक होगी , समस्त दरें अंकित नहीं करने पर प्राप्त निविदा पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा ।**
13. जहां आवश्यक हो सामग्री वांछित पैड के रूप में आपूर्ति करनी होगी
14. फर्म को आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश से आदेशित की गई अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी
15. ऊपर उ़द्वत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा
16. बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या.......................................जो (बैक का नाम)पर आहरित किया गया है । नगद राशि संख्या ..../चालान संख्या ....दिनांक.........................रूपये ....के लिए बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है
17. निविदा पत्र के साथ बिकी कर (वेट) पत्र संलग्न है
18. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिकी कर चुकता पत्र संलग्न है ।
19. **निविदा प्रपत्र के साथ सभी प्रकार के कागज के नमूने संलग्न है** । (नमूने के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी)
20. पूर्व में किए गए विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है । (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)
21. निविदा प्रपत्र के साथ **स्वयं की प्रेस होने का प्रमाण** (प्रेस डिक्लरेशन) पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned by CamScanner

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

खुली निविदा की शर्तें

टिप्पणीः निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें ।

निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।

1. ''वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं'' :– निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए । अतः वे प्रारूप एस.आर.–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे ।
2. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।
   (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे । जब तक कि वह / वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
3. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और शोधन प्रमाण–पत्रः– कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित किया जाना चाहिए था, संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के **प्रमाण** स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एंव उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये । दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए ।
6. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए । स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।
7. अ. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।
   ब. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।
8. मूल अधिमान–मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी ।
9. विधिमान्यताः– निविदाएं खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।
10. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले मालके संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानी पूर्वकपरीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश ड्राईंगआदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने सेपूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्पूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।
12. विनिर्देशः:–
    i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप मे अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी । उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए ।
    ii. वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामलें में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।

Scanned by CamScanner

iii. वारंटी/गारंटी:– निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से ....दिन/माल की कालावधि हेतु माल/ भण्डार/वस्तुएं निविर्दिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त .... दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध मे क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होगें । निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो । इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामले में भी उपर्युक्त खण्ड (3)में वर्णित गारंटी दी जाएगा और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता । निर्धारित अपवधि मे प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।

v. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपकरण के मामलें में, निविदादाता उन निबन्ध और शर्तों पर जिन पर सहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपकरणों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जो के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

13. निरीक्षण:–

i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रकिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी ।

ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ठ हुए है उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

14. नमूनेः– अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के समुचित रूप से पैक किए गए नमूनों के दो संघ होंगे । यदि ऐसे नमूने वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत किए जाएगा उन्हें कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। नमूना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने की एक रसीद दी जाएगी ।

15. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाउ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे ।

16. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि क निःशुल्क रखे जायेंगे । विश्वविद्यालय इन नमूनो के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट–फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे । विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

17. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे।विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या

Scanned by CamScanner

हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

18. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्टित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो ।
19. नमूने लिए जाना– परीक्षण के मामलें में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी की उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
20. परीक्षण व्यय– परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
21. अस्वीकृत किया जानाः'–
    i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
    ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी ।
22. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा किवह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे ।
23. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैंकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके । किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
24. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
25. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।
26. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी
    i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा मे दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
    ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
27. बयाना राशि'–
    i. निविदा के साथ रूपये 20000/–की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नही किया जाएगा। यह राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी
    ii. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस की दी जाएगी
    iii. बयाना राशि से छूटः– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए नए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी ।
    iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बनाया राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं ।

Scanned by CamScanner

v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पडी हुई है।नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।

28. बयाना राशि का समपहरण– बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया ला सकेगा।

i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो

iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।

iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता हैं ।

29. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–

i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी ।

ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी ।

iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक द्वारा विश्वविद्यालय मे जमा कराई जावेगी । प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देयच बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी ।

(ब)

i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी ।

ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे ।

iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के माले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

30. अ. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।

ब. उस माल के प्रकरण मं संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देया के अनुरूप पाए जाएं ।

31. शर्ते :–

i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।

ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी ।

iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 25 प्रतिशत

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाइ से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत

iv. प्रदाय मे विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।

v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी ।

Scanned by CamScanner

vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित मे तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।

vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

32. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी । यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

33. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

34. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
    i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
    ii. यदि फर्म फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरणप क्रमांक और रजिस्ट्रीकारण का वर्ष
    iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक
    iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।

35. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंधमें संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदिप्त किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं

37. दर संविदा के अनुसार प्रतिनग/प्रति सैट/प्रति किलो आदि की दर अंकित करें ताकि सामग्री आवश्यकतानुसार मंगवाई जा सकें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रिंटिंग दर प्रति हजार प्रपत्र–अ

S. No	Item	16x26/2	16x26/4	16x26/5	16x26/6	16x26/8	16x26/12	17x27/2	17x27/4	17x27/5	17x27/6	17x27/8	17x27/12	18x22/2	18x22/4	18x22/5	18x22/6	18x22/8	18x22/12	20x30/2	20x30/4	20x30/5	20x30/6	20x30/8	20x30/12
1	One Side Single Colour Printing Per Thousand																								
2	Both Side Single Colour Printing Per Thousand																								
3	One Side Double Colour Printing Per Thousand																								
4	Both Side Double Colour Printing Per Thousand																								
5	One Side Multi Colour Printing Per Thousand																								
6	Both Side Multi Colour Printing Per Thousand																								
7	Binding Charges Hard Bounded with Paper Rexign Per Register																								
8	Binding Charges Fevicol Pad (Per Pad 100 Paper in a Pad)																								

1. Perofarting Charges, Numbring Charges and Pinning Charges का कार्य जहां आवश्यक हो उपरोक्त दरों में ही करना होगा, इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा अतः दरें इन कार्यों को शामिल मानते हुऐ अंकित करें ।
2. उपरोक्त दरें प्रति हजार की दरे हैं, जो आगामी एक हजार के लिए भी इसी प्रकार मान्य होगी । अर्थात आगामी हजार के लिए भी यही दर देय होगी ।
3. एक हजार से कम तादाद होने पर भी प्रिंटिग चार्ज एक हजार प्रपत्र का देय होगा ।
4. उपरोक्त दरें समस्त कर सहित होगी अर्थात किसी प्रकार का वेट या कर अलग से देय नहीं होगा ।
5. **उपरोक्त दरें कागज रहित होगी** । कागज की दरें अलग से प्रपत्र–ब पर अंकित करनी होगी, कागज की दरों के अभाव में आपकी दरों पर विचार नहीं किया जावेगा क्योंकि तुलनात्मक विवरण कागज की दरों सहित तैयार होगा ।
6. प्रिटिग की दरें अंकित करने वाले दर दाता की ही कागज की दरे स्वीकार्य होगी केवल कागज की दरों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–ब

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

Rate for Paper only

	Item	16x26/2	16x26/4	16x26/5	16x26/6	16x26/8	16x26/12	17x27/2	17x27/4	17x27/5	17x27/6	17x27/8	17x27/12	18x22/2	18x22/4	18x22/5	18x22/6	18x22/8	18x22/12	20x30/2	20x30/4	20x30/5	20x30/6	20x30/8	20x30/12
1	Sirpur White Paper 58 GSM Per Thousand																								
2	Executive Bond Paper 80 GSM Per Thousand																								
3	Sirpur White Maflito Paper 80 GSM Per Thousand																								
4	Sirpur Colour Maflito 80 GSM Per Thousand																								
5	Sunsine White Paper 120GSM Per Thousand																								
6	Art Paper 130 GSM																								
7	Art Card 300 GSM																								

1. दर उपरोक्त साईजो के अनुसार प्रति हजार की प्रस्तुत करें ।
2. प्रिटंग की दरें प्रस्तुत करने वाली फर्म को ही दरें प्रस्तुत करनी हैं केवल पेपर की दर प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य नहीं होगी ।
3. दर प्रति हजार पेपर मांगी गई हैं परन्तु भुगतान प्रति पेपर आदेशित संख्या अनुसार ही देय होगा । जबकि प्रपत्र (अ) में अंकित प्रिंटिग की दर प्रति हजार देय होगी
4. केवल मांगी गई कागज की दरें समस्त कर एवं वेट सहित प्रस्तुत करें । अन्य प्रकार के कागज की नहीं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–स

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

Certificate and other Printing

	Item	12x18	12x9
A	Digital Printing		
1	One Side Single Colour Per Pec (With 60 to 250 GSM Paper)		
2	Both Side Single Colour Per Pec (With 60 to 250 GSM Paper)		
3	One Side Double Colour Per Pec(With 60 to 250 GSM Paper)		
4	Both Side Double Colour Per Pec(With 60 to 250 GSM Paper)		
5	One Side Multi Colour Per Pec(With 60 to 250 GSM Paper)		
6	Both Side Multi Colour Per Pec(With 60 to 250 GSM Paper)		
B	FLEX Printing	Rate : Per Sq. Ft.	
1	Complete FLEX (incl. Sheet cost) with double colour printing (any size)		
2	Complete FLEX (incl. Sheet cost) with multi colour printing (any size)		

1. कपया उपरोक्त साईज की सीट्स पर 60 जी एस एम से 250 जीएस एम के पेपर पर प्रति नग की दर अंकित करें

2. **फ्लेक्स कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली शीट का नमूना सलग्न करे ।**

2. उपरोक्त दर समस्त कर एवं वेट सहित अंकित करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–द

कार्य का नाम– लिफाफे प्रिंटेड

Maharaja Ganga Singh University, Bikaner

Comprative Statement Part- II

S.No.	Item Name	Size of envlope	White (Sunshine) 100 Gsm.	Window White (Sunshine) 100 Gsm.	Craft 100 Gsm.	Window Craft 100 Gsm.	Ledger Paper 120 Gsm. Clothline
			Per Hundered Pc.	Per Hundered Pc.	Per Hundered Pc.	Per Hundered Pc.	Per Hundered Pc.
1	Single Colour Printed Belly Envlope	15"x12"x4"					
2	Single Colour Printed Envlope	15"x12"					
3	Single Colour Printed Envlope	14"x10"					
4	Single Colour Printed Envlope	12"x10"					
5	Single Colour Printed Envlope	11"x6"					
6	Single Colour Printed Envlope	10"x4.5"					
7	Single Colour Printed Envlope	9"x4"					
8	Single Colour Printed Envlope	7"x3.25"					
9	Single Colour Printed Envlope	13"x8"					
10	Single Colour Printed Envlope	13"x4"					

लिफाफे सहित प्रिंटिंग की दर प्रति सैकड़ा समस्त कर एवं वेट सहित अंकित करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner